द्वारा स्पीडपोस्ट/फैक्स

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

सं0 जीएसआर/2/2012/एसटीजीएमपी/डीईईडीयूसी/आर.यू.-III

Dated 18-10-2012

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

विषयः मध्य प्रदेश राज्य के राजीव गांधी प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से तकनीक शिक्षा में अयोग्यता (एनएफटीई) नियम हटवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी माननीय सांसद (लोकसभा) के पत्र दिनांक 29-08-2012 के द्वारा प्राप्त समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी, राजीव गांधी प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के संयुक्त अभ्यावेदन दिनांक 2908-2012 की छांयाप्रति आपको संलग्न करने का निदेश हुआ है।

अभिवेदन पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजीव गांधी प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के साथ तकनीकी शिक्षा में अयोग्यता नियम अपना कर उक्त शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। प्रकरण की इस गंभीरता को देखते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष डा0 रामेश्वर उरांव ने इस मामले पर चर्चा हेतु दिनांक 01-11-2012 को अपराह्न 1.00 बजे बैठक सुनिश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित उक्त तिथि को चर्चा हेतु आयोग में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

4835-37
18/10/12

भवदीय,
के.डी. बन्सौर
(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. श्री विनोद कुमार टैगोर, कॉलेज एस.जी.एस.आई.टी.एस., इंदौर (मध्य प्रदेश)।

के.डी. बन्सौर
(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रति:
(i) PS To Ch; NCST
(ii) PPS To JS
(iii) SSA (NIC)

O/C

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191